GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1338

TO BE ANSWERED ON THE MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939 (SAKA)

REMOVING LANGUAGE BIAS IN OFFICIAL COMMUNICATIONS

1338. SHRI TIRUCHI SIVA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to remove the language bias in official communications; and

(b) whether Government plans to make only Hindi as the official language of the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)

Answer (a) and (b) : The Government of India is not biased in official communications. The official language of the Union is Hindi in Devnagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union is the international form of Indian numerals. As per Article 351 of the constitution, it shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. The Union of India is working towards ensuring the implementation of Official Language Hindi in compliance to constitutional and Statutory provisions.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1338
दिनांक 07.03.2018/16 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

शासकीय पत्राचारों में भाषायी पक्षपात को समाप्त किया जाना

1338. श्री तिरुची शिवाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शासकीय पत्राचार में भाषायी पक्षपात को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ख) क्या सरकार की सिर्फ हिन्दी को देश की राजभाषा बनाने की योजना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) सरकार द्वारा सरकारी पत्राचार में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद **343** के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। संघ सरकार संवैधानिक और वैधानिक उपबंधों के अनुपालन में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में कार्यरत है।

*****